रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3161] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 2018/श्रावण 19, 1940
No. 3161] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 2018/SHRAVANA 19, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

का.आ. 3957(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग-II,खण्ड-3,उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 952(अ) के तहत मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता, को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए पूरे पश्चिम बंगाल राज्य (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों के सिवाए) में अधिकारक्षेत्र वाले विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि, श्री प्रसेनजीत बिस्वास, मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 18 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1666 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, को स्थानांतरित कर दिया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 18 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1666 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, कलकत्ता की सिफारिश पर श्री मनोजीत मंडल, मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता को उक्त विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर अध्यक्षता करने हेतु एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009/आईएस-IV (पार्ट-V)]

प्रवीण वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10 th August, 2018

S.O. 3957(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 952(E) dated the 29th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of the Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of West Bengal (except the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Bihar) for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Prasenjit Biswas, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 1666(E) dated the 18th April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 1666(E), dated the 18th April, 2018, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court, Calcutta, hereby appoints Shri Manojit Mandal, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-V)]

PRAVEEN VASHISTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.08.18 16:30:11 +05'30'